

(ख) इस अवधि में कितने मूल्य के खाद्य तेलों का आयात किया गया; और

(ग) शेष तेल का आयात न करने के या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सह-कारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) :

(क) 788 करोड़ रु० ।

(ख) 82 करोड़ रु० ।

(ग) आयात लाइसेंसों के आधार पर आयात सम्बन्धित लाइसेंस की वैधता अवधि के भीतर एक समयावधि में किये जाते हैं। 1976-77 में जारी किये गये अधिकांश लाइसेंसों का उपयोग सम्भवतः मार्च, '77 तक न किया गया हो क्योंकि खाद्य तेलों के लिये अधिकांश लाइसेंस फरवरी-मार्च, '77 के दौरान दिये गये थे।

बिहार के नालन्दा जिले में शिक्षित बेरोजगारों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण

882. श्री बीरेन्द्र प्रसाद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा शिक्षित बेरोजगारों और समाज के निम्न वर्गों को दिये जाने वाली ऋण सम्बन्धी नीति समाप्त कर दी गई है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) बिहार राज्य में नालन्दा जिले के राष्ट्रीयकृत बैंकों ने शिक्षित बेरोजगारों और समाज के निम्न वर्गों को दिये जाने वाले ऋण वस्तुतः रोक दिये हैं और इन बैंकों द्वारा मनमाने ढंग से ऋण दिये जाते हैं जिससे वहाँ भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है; और

(ग) क्या सरकार का विचार हम मामलों में जांच करने और उचित कार्यवाही करने का है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). सरकारी क्षेत्र के बैंक शिक्षित बेरोजगारों और समाज के कमजोर वर्गों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण प्रदान कर रहे हैं।

बिहार राज्य के बारे में निम्नलिखित आंकड़ें प्रकट करते हैं कि पांच लाख व्यक्तियों के लिये रोजगार कार्यक्रम/रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत खातों की संख्या और उन खातों में बकाया राशि दिसम्बर, 1975 और दिसम्बर, 1976 के बीच बढ़कर 12½ गुना से अधिक हो गई है। व्यवसायिक और स्वानियोजित व्यक्तियों के विषय में भी इसी अवधि में खातों की संख्या 2½ गुना बढ़ गई है और उनमें बकाया राशि लगभग 2 गुना हो गई है।

## बिहार राज्य में ऋण\*\*

|  | दिसम्बर, 1975   |                          | दिसम्बर, 1976   |                          |
|--|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
|  | खातों की संख्या | बकाया राशि (लाख रु० में) | खातों की संख्या | बकाया राशि (लाख रु० में) |
| (क) 5 लाख व्यक्तियों के लिये रोजगार कार्यक्रम रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण | 4386*           | 396.9                    | 10127*          | 1018.3                   |
| (ख) व्यवसायिक और स्वनिर्वाजित व्यक्ति  | 7382            | 131.1                    | 18005           | 223.5                    |

\*स्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या

\*\*अन्तर्लिप्त

नालन्दा जिले में राष्ट्रीयकृत बैंको द्वारा ऋण स्वीकार करने में अष्टाचार का कोई भी मामला सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है। जब और जसे ही विशिष्ट मामलों की सूचना मिलती है उनकी जांच की जाती है और हर मामले के गुणावगुण के आधार पर समुचित कार्यवाही की जाती है।

## Development of Tourism in Gujarat

883. SHRI AHMED M. PATEL: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) the amount earmarked for development of tourism in the State of Gujarat in the years 1975-76 and 1976-77;

(b) the amount spent during that period with details; and

(c) the amount sanctioned for the year 1977-78?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTAM KAUSHIK): (a) The Central Department of Tourism had provided

Rs. 1 lakh and Rs. 8.49 lakhs for tourism schemes in the State of Gujarat for the years 1975-76 and 1976-77 respectively.

(b) In the year 1975-76 a sum of Rs. 54,176/- was utilised for construction of a forest lodge at Sassangir (lion Sanctuary); in the year 1976-77 a further sum of Rs. 3,37,809 was spent on the construction and furnishings of this forest lodge.

(c) An additional expenditure of Rs. 6.59 lakhs is anticipated during 1977-78 for the completion of this forest lodge.

उचित दर की दुकानों द्वारा प्रामीणों को मंडा तथा सूजी की सप्लाई न किया जाना

884. श्री युवराज : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रामीण क्षेत्रों में स्थित उचित दर की दुकानें प्रामीणों को मंडा तथा सूजी की सप्लाई नहीं करती हैं;